कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

–:: विज्ञप्ति ::–

क्रमांक :– स्था./2014/05 दिनांक :–15.07.2014

हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र में 39 रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों (सामान्य वर्ग के 20 पद, अनुसूचित जाति 05 पद, अनुसूचित जनजाति 06 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 08 पद) पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.11(7) एफ.डी. (रूल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 राजस्थान सिविल सेवाऐं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 व सशोंधित नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी.(रूल्स)/2013–II जयपुर दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैंड–पीबी–1 5200–20200 ग्रेड पे–1700 प्रतिमाह में दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/– रूपये प्रतिमाह (प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत पारिश्रमिक पर भर्ती/नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। महिलाओं, निःशक्तजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों आदि को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

अभ्यर्थियों के लिये निम्न योग्यता/शर्तें लागू रहेंगी :–

1. **आयु** :– आवेदक दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के कोई सदस्य आदि के लिए आयु में नियमानुसार छूट देय होगी। परन्तु यह कि –

    1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के किसी सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा।
    2. महिला अभ्यर्थियों के मामलें में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा।
    3. रिजर्व सैनिक अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
    4. कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में, एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हे विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
    5. ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी या अस्थाई हैसियत में पहले सेवा कर रहा हो, जिसे उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, आयु के सम्बन्ध में कोई निर्बंधन नहीं होगा।
    6. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तिक के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
    7. ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगा, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
    8. ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
    9. विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी यदि उन्होने पुनः विवाह नही किया हो।

        स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
    10. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :–

15/7/14

अ) अनारक्षित वर्ग 10 वर्ष
ब) अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग 13 वर्ष
स) अनुसूचित जाति/जनजाति 15 वर्ष

2. **शैक्षणिक योग्यता** :– उक्त पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये।

3. **चरित्र** :– आवेदक को दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदक के सम्बन्धी नहीं हो। यह दोनो चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से छः माह की अवधि से पहले के नहीं होने चाहिए।

4. **शारीरिक योग्यता** :– अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसे ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए जो कि उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. **पेंशन योजना एवं स्थाई परितोषण**:– राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.15 (7) एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 एफ.डी. (रूल्स) दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेन्स रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण के सभी नये नियम लागू होगें। चयनित कर्मचारी को राज्य में प्रचलित नियमों के तहत कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

6. **राष्ट्रीयता** :– अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या उपरोक्त 1999 के नियम की धारा 11 के अनुसार अर्हता रखता हो।

7. **नियुक्ति के लिए निरर्हता** :–

a. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी वाले महिला/पुरूष अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें।

b. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। इस नियम के अन्तर्गत दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 20) में दिया गया है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को विवाह के समय दहेज नहीं लेने/देने का शपथ पत्र 10/– रूपये के नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

c. ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को व उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नियुक्ति के समय विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सतांन नहीं होने का घोषणा का सलग्न प्रारूप में 10 रूपये के नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

d. ऐसा अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का, जो सही नहीं है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है जो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे:

क. समिति द्वारा किसी साक्षात्कार में उपस्थिति होने से,

ख. सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा स्थाई तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

8. **अन्तिम तिथि** :– आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को 05:00 बजे तक जिला न्यायालय हनुमानगढ़ में प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उसे निरस्त कर फाईल कर दिया जावेगा। साक्षात्कार योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 18.08.2014 को जिला न्यायालय की वेबसाईट व सूचना पट्ट पर चस्पा की जावेगी।

9. योग्य पाये गये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को प्रातः 10:00 बजे से जिला न्यायालय परिसर हनुमानगढ़ में लिया जायेगा। **अधिक प्रत्याशी होने पर साक्षात्कार की अलग तारीख नियत की जावेगी** जिसकी सूचना कार्यालय की वेबसाईट व नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी। अंतिम परिणाम साक्षात्कार होने के पश्चात सात दिवस में घोषित कर दिया जावेगा।

10. साक्षात्कार योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा अभ्यर्थियों को इस साक्षात्कार में सम्मिलित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. साक्षात्कार की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना कार्यालय की वेबसाईट व नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी। अभ्यर्थी को इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।

12. रिक्तियां पूर्ण रूप से अस्थाई है।

13. राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी सेवा शर्तो आदि बाबत पत्र/परिपत्र नियमानुसार मान्य होगें।

14. अपूर्ण प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

15. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.6.2006 के अनुसार विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी का नाम उल्लेख करेगें तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करेगें या दिनांक 30.06.2006 से पूर्व विवाह पंजीकृत नहीं होने या अविवाहित रहने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में अंकित शपथपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। अन्य विवाहित अभ्यर्थी को अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16. अभ्यर्थी किसी आपराधिक मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिये। अभ्यर्थी नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ पत्र 10/– रूपये के नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करेगा।

17. उपरोक्त विज्ञप्ति एवं इस सम्बन्ध में भविष्य में जारी होने वाली सूचनाऐं वेबसाईट http://examdjhmh.webs.com व http://ecourts.gov.in/hanumangarh पर उपलब्ध रहेगी।

18. अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें :–

1. अभ्यर्थी सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगें।
2. यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत है, तो अभ्यर्थी को अपना आवेदन अपने विभाग के माध्यम से प्रेषित करना होगा।
3. स्वयं का एक पासपोर्ट साईज स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन पत्र पर चस्पा होना चाहिए।
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्य प्रति।
5. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की सत्य प्रति।
6. जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रति जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।
7. आयु सीमा में छूट प्राप्त करने हेतु कारण दर्शाते हुए संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

8. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मूल चरित्र प्रमाण पत्र (जो आवेदन की दिनांक को छः माह से अधिक पुराने न हो)।
9. विवाह पंजीयन संबंधी निर्धारित प्रमाण पत्र की सत्य प्रति अन्यथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

नोट :– आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

(राजेन्द्र कुमार पारीक)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़

कमांक :– स्था / 2014 /

दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़
3. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ——————
4. श्रीमान जिला कलक्टर, हनुमानगढ़
5. हनुमानगढ़ न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु
6. जिला नियोजन अधिकारी, हनुमानगढ़
7. जन सम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
9. सम्बन्धित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
हनुमानगढ़